न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 12/2021

आरसीएमएस : 2021/200

1. मलूर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम —प्रार्थी

1. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र टाकर सिंह उर्फ बोना सिंह जाति मजबी निवासी 19 पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज.

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री प्रीतम सिंह गिल, वकील प्रार्थी
2. श्री मेजर सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक : 01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी जोत चक 2 एफडी ए प.न. 235/212 मु.नं. 3 के कि.नं. 6 व 13 ता 17 प्रत्येक 0.253है., 18 की 0.240है., 19 की 0.114है. 21/1 की 0.190है., 24/1 की 0.228है., 24/2 की 0.025है. खाला, 25/1 की 0.228है. कुल 2.543है. नहरी खातेदारी भूमि में पहुंच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की भूमि चक 2 एफडीए के प.नं. 237/273 मु.नं. 5 के कि.नं. 15—16—25 प्रत्येक में 0.013है.—0.013है. पूर्वी पासा कुल 0.039है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदक उक्त रास्ता देने को पूर्ण सहमत व रजामन्द है और आवेदक से रास्ता की भूमि का कोई मुआवजा भी प्राप्त नहीं करना चाहता हैं।

तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका एवं रिकार्ड जांच रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/1119 दिनांक 19.08.2021 के अनुसार प्रार्थी 2 एफडीए मु.नं. 12 कि.नं. 5—6—15—16—25 में स्वीकृत रास्ते से मु.नं. 5 के कि.नं. 15—16—25 प्रत्येक में 0.013है कुल 0.039है. रास्ता स्वीककृत करवाकर नहर के पटडे से होते हुए अपनी भूमि में आवागमन करना चाहता हैं। मौके पर उक्त रास्ता चालू हैं। प्रार्थी की भूमि में अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता हैं। अतः नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। एवं वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने की एवज में कोई राशि प्रतिफल नहीं चाहता हैं।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा रास्ता स्वीकृत करने पर कोई एतराज व्यक्त नहीं किया हैं। तथा तहसीलदार रायसिंहनगर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गयी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन एवं तहसीलदार [illegible] अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाकर चक 2 एफडी ए के प.नं. 23[illegible] मु.नं. 5 के कि.नं. 15—16—25 प्रत्येक में 0.013है.—0.013है. पूर्वी पासा कुल 0[illegible] किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार स्वीकृतशुदा [illegible] दरामद करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.09.2021 को लिख[illegible] जाकर खुले न्यायालय में [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:48 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर